अनुदान संख्या 19 – रक्षा मंत्रालय (विविध)
GRANT No. 19 - MINISTRY OF DEFENCE (MISC)

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित–	*Charged -*		*76,00*	*6,43*	*-69,57*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*19,00*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	28457,28,00	29515,14,00	29252,22,41	-262,91,59
पूरक	Supplementary	1057,86,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				704,72,00
पूंजीगतः	**Capital:**				
प्रभारित–	*Charged -*				
मूल	*Original*	*35,00,00*	*37,16,00*	*23,66,48*	*-13,49,52*
पूरक	*Supplementary*	*2,16,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*15,00,00*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	6616,73,00	6616,76,00	4703,72,62	-1913,03,38
पूरक	Supplementary	3,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, *₹51.00 लाख* का *विनियोग* चार मामलों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹26291.59 लाख) जुलाई, 2018 और फरवरी, 2019 में प्राप्त किए गए ₹105786.00 लाख के पूरक अनुदान का 25 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 1 प्रतिशत थीं। अभ्यर्पित राशि (₹70472.00 लाख) भी कुल बचतों से अधिक हो गईं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:–

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of *₹51.00 lakhs* remained wholly unutilised under four heads.

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹26291.59 lakhs) constituted 25 percent of the supplementary grants of ₹105786.00 lakhs obtained in July, 2018 and February, 2019 and 1 percent of the total sanctioned provision. The amount surrendered (₹70472.00 lakhs) also exceeded the overall savings.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+
मुख्य शीर्ष "2052"	Major Head "2052"				
सचिवालय – सामान्य सेवाएं	Secretariat - General Services				
मू.	O.	310352.00			
पू.	S.	105785.00	438177.00	484880.42	+46703.42
पु.	R.	22040.00			
मुख्य शीर्ष "2037"	Major Head "2037"				
सीमा शुल्क	Customs				
मू.	O.	209142.00			
पू.	S.	1.00	240153.00	245113.79	+4960.79
पु.	R.	31010.00			
मुख्य शीर्ष "2055"	Major Head "2055"				
पुलिस	Police				
मू.	O.	127530.00			
			125586.00	147388.76	+21802.76
पु.	R.	-1944.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2059" लोक निर्माण कार्य	Major Head "2059" Public Works				
मू.	O.	2683.00	1896.00	1922.02	+26.02
पु.	R.	-787.00			
मुख्य शीर्ष "2075" विविध सामान्य सेवाएं	Major Head "2075" Miscellaneous General Services				
मू.	O.	1750000.00	1650743.00	1626273.96	-24469.04
पु.	R.	-99257.00			
मुख्य शीर्ष "2076" रक्षा सेवाएं – थल सेना	Major Head "2076" Defence Services - Army				
मू.	O.	355811.00	347149.00	347272.84	+123.84
पु.	R.	-8662.00			
मुख्य शीर्ष "2216" आवास	Major Head "2216" Housing				
मू.	O.	2436.00	1675.00	1741.19	+66.19
पु.	R.	-761.00			
मुख्य शीर्ष "2552" पूर्वोत्तर क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	800.00	..	..	..
पु.	R.	-800.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3054"	Major Head "3054"				
सड़क तथा सेतु	Roads and Bridges				
मू.	O.	75000.00			
			66212.00	61291.13	-4920.87
पु.	R.	-8788.00			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	7200.00			
			5500.00	5496.85	-3.15
पु.	R.	-1700.00			

(I) ₹9284.00 लाख का प्रावधान चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें ₹8800.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹9284.00 lakhs remained wholly unutilised under four heads; of these ₹8800.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2552" – "सड़क तथा सेतु – सीमा सड़क संगठन" – ₹800.00 लाख – पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित होने के कारण।

(A) Major Head "2552" – "Road and Bridges - Border Roads Organisation" - ₹800.00 lakhs - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(खा) मुख्य शीर्ष "3054" – "सामरिक महत्व की और सीमा सड़कें" –

(B) Major Head "3054" – "Strategic and Border Roads"-

(क) "आरक्षित निधि जमा को/से अंतरण – सीमा सड़कों के अंतर्गत निर्माण कार्य" – ₹5000.00 लाख – नकदीरहित लेखांकन प्रविष्टि जाने के कारण।

(a) "Transfer to/from Reserve Fund Deposit - Works under Border Roads" - ₹5000.00 lakhs - due to a non-cash accounting entry.

(ख) "अन्य व्यय–भूटान प्रतिपूर्ति भत्ता" – ₹3000.00 लाख – सामान्य लक्ष्य सहायता अनुदान की उपलब्धि न होने के कारण।

(II) मुख्य शीर्ष "2052" – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(का) "सचिवालय" –

(क) "रक्षा विभाग" – ₹653.96 लाख की बचत (₹19041.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने तथा चिकित्सा दावों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई।

(ख) "रक्षा उत्पादन विभाग" – ₹538.77 लाख की बचत (₹2955.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुई।

(खा) "अन्य कार्यालय – रक्षा सम्पदा संगठन" – ₹6202.80 लाख की बचत (₹47594.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम दौरे किए जाने, कम मरम्मत कार्यों को किए जाने, कम प्रशिक्षणों का आयोजन किए जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2059" – "अन्य भवन – अनुरक्षण तथा मरम्मत – रक्षा लेखा विभाग" के अंतर्गत ₹632.64 लाख की बचत (₹2200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निविदाओं के अंतिम रूप न दिए जाने और कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यों की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "2075" – "कैंटीन भंडार विभाग – कैंटीन सेवाएं निदेशालय" के अंतर्गत ₹123726.04 लाख की बचत (₹1750000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, आपूर्तियों तथा सामग्रियों के बिलों का भुगतान न होने, मरम्मत कार्यों को अंतिम रूप न दिए जाने

(b) "Other Expenditure - Bhutan Compensatory Allowance" - ₹3000.00 lakhs - due to non-achievement of grants-in-aid general target.

(II) Under Major Head "2052" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Secretariat" –

(a) "Department of Defence (DoD)" – saving of ₹653.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹19041.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and receipt of less medical claims.

(b) "Department of Defence Production (DP)" – saving of ₹538.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2955.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(B) "Other Offices - Defence Estate Organisation (DEO)" – saving of ₹6202.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹47594.00 lakhs) was due to less tours undertaken, less repair works, conduction of less trainings, non-finalisation of pay and allowances arrear bills, non-receipt of medical claims, non-achieving of grants-in-aid general target and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(III) Under Major Head "2059" – "Other Buildings – Maintenance and Repairs – Defence Accounts Department" – saving of ₹632.64 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2200.00 lakhs) was due to non-finalisation of tenders and slow progress of works by executing agencies.

(IV) Under Major Head "2075" – "Canteen Stores Department (CSD) - Directorate of Canteen Services" - saving of ₹123726.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1750000.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-receipt of bills in

तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती के कारण हुई।

respect of supplies and materials, non-finalisation of repair works and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(V) मुख्य शीर्ष "2076" – "सैन्य फार्म – सिविल" के अंतर्गत ₹8411.17 लाख की बचत (₹33435.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन तथा भत्तों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने, फेज–I में सैन्य फार्म और सैन्य फार्म विद्यालय एवं केन्द्रों के बंद होने के कारण हुई।

(V) Under Major Head "2076" – "Military Farms - Civil" - saving of ₹8411.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹33435.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards pay and allowances, closure of Military Farms and Military Farms School & Centres in phase-I.

(VI) मुख्य शीर्ष "2216" – "सामान्य पुल आवास – अनुरक्षण तथा मरम्मत – अन्य अनुरक्षण व्यय" के अंतर्गत ₹694.81 लाख की बचत (₹2436.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निविदाओं के अंतिम रूप न दिए जाने और कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यों की धीमी गति से किए जाने के कारण हुई।

(VI) Under Major Head "2216" – "General Pool Accommodation – Maintenance and Repairs – Other Maintenance Expenditure" – saving of ₹694.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2436.00 lakhs) was due to non-finalization of tenders and slow progress of works by executing agency.

(VII) मुख्य शीर्ष "3054" – "सामरिक महत्तव की तथा सीमा सड़कें" – के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :–

(का) "सड़क कार्य" –

(क) "सीमा सड़क संगठन द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण" – ₹3392.71 लाख की बचत (₹13500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(ख) "राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा सड़क अनुरक्षण" – ₹810.82 लाख की बचत (₹41550.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(खा) "अन्य व्यय – सड़क कार्य" – ₹1502.09 लाख की बचत (₹11500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

बचतें उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने एवं लक्ष्य को पुनर्जीवित करने में कमी किए जाने के कारण हुई।

(VII) Under Major Head "3054" – "Strategic and Border Roads" – saving occurred under the following heads :-

(A) "Road Works" –

(a) "Maintenance of NHs by Border Roads Organisation" – saving of ₹3392.71 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13500.00 lakhs);

(b) "Road Maintenance other than NHs" – saving of ₹810.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹41550.00 lakhs); and

(B) "Other Expenditure – Road Works" – saving of ₹1502.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11500.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance and decrease in resurfacing target.

(VIII) मुख्य शीर्ष "3601" – "केंद्रीय प्रायोजित स्कीम – केंद्रीय सड़क निधि से अनुदान – सीमा सड़क संगठन के अंतर्गत सड़क निर्माण कार्य" – ₹1703.15 लाख की बचत (₹7200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सड़क निर्माण कार्य के लक्ष्य में सहायता अनुदान कमी किए जाने के कारण हुई।

(IX) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹702.07 लाख की बचत हुई जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 10 प्रतिशत और 37 प्रतिशत से अधिक थीं।

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹58121.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ₹105786.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

(का) मुख्य शीर्ष "2037" – "निवारक एवं अन्य कार्य – तटरक्षक संगठन" – ₹31010.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹35970.79 लाख था।

(खा) मुख्य शीर्ष "2052" –

(क) "सचिवालय – सीमा सड़क संगठन" – ₹24615.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹65398.82 लाख था।

(ख) "अन्य कार्यालय – रक्षा लेखा विभाग" – ₹2496.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹11077.66 लाख था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "2055" – "विशेष पुलिस – जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फैंट्री के संबंध में अदा किए गए प्रभार" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं – ₹19858.76 लाख का अधिक व्यय (₹127530.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सैनिकों को वेतन एवं भत्तों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(VIII) Under Major Head "3601" – "Centrally Sponsored Schemes – Grants from Central Road Fund – Road works under Border Roads Organisation" – saving of ₹1703.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7200.00 lakhs) was due to decrease in Grants-in-Aid target.

(IX) Under two heads savings of ₹702.07 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs and constituting more than 10 percent and 37 percent of the sanctioned provision.

3.(I) The above savings were partly (₹58121.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹105786.00 lakhs - under the following major heads:-

(A) Major Head "2037" – "Preventive and Other Functions - Coast Guard Organisation" – ₹31010.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹35970.79 lakhs.

(B) Major Head "2052" –

(a) "Secretariat - Border Roads Organisation" – ₹24615.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹65398.82 lakhs.

(b) "Other Offices – Defence Accounts Department(DAD)" – ₹2496.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹11077.66 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major head "2055" – "Special Police - Charges paid in respect of J&K Light Infantry (JAKLI)" - excess of ₹19858.76 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹127530.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards pay and allowances of troops.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के *प्रभारित* अंश में, कुल बचतें (*₹1349.52 लाख*) फरवरी, 2019 में प्राप्त किए गए *₹216.00 लाख* के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और जो कुल स्वीकृत प्रावधान का 36 प्रतिशत थीं। अभ्यपित राशि (*₹1500.00 लाख*) भी कुल बचतों से अधिक हो गईं।

4. In the *charged* portion of the capital section of the grant, the overall savings (*₹1349.52 lakhs*) exceeded the supplementary grants of *₹216.00 lakhs* obtained in February, 2019 and constituted 36 percent of the total sanction provision. The amount surrendered (*₹ 1500.00 lakhs*) also exceeded the overall savings.

बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईः—

Saving occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत— Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "5054"	Major Head "5054"				
सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Roads and Bridges				
मू.	*O.*	*3500.00*	*2000.00*	*2196.54*	*+196.54*
पु.	*R.*	*-1500.00*			

(II) "सामरिक महत्व की और सीमा सड़कें – सड़क निर्माण कार्य – सीमा सड़क संगठन के अंतर्गत निर्माण कार्य" के अंतर्गत *₹ 1303.46 लाख* की बचत (*₹ 3500.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) कम संख्या में न्यायालय के मामलों के अंतिम निर्णय दिए जाने के कारण हुई।

(II) Under – "Strategic and Border Roads – Road Works – Works under Border Road Organisation" – saving of *₹1303.46 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *₹ 3500.00 lakhs*) was due to finalisation of less number of court cases.

5. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः—

5. In the voted portion of the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4047" अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4047" Capital Outlay on Other Fiscal Services				
मू.	O.	270000.00			
पू.	S.	1.00	226000.00	225878.95	-121.05
पु.	R.	-44001.00			
मुख्य शीर्ष "4059" लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	4026.00	900.00	824.73	-75.27
पु.	R.	-3126.00			
मुख्य शीर्ष "4076" रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय – सेना	Major Head "4076" Capital Outlay on Defence Services				
मू.	O.	2842.00	711.00	336.14	-374.86
पु.	R.	-2131.00			
मुख्य शीर्ष "4216" आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4216" Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	2205.00	1045.00	1029.25	-15.75
पु.	R.	-1160.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4552" पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	27850.00	..	..	..
पु.	R.	-27850.00			
मुख्य शीर्ष "5054" सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5054" Capital Outlay on Roads and Bridges				
मू.	O.	354150.00	415850.00	225199.05	-190650.95
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	61699.00			
मुख्य शीर्ष "6858" इंजीनियरिंग उद्योगों के लिए ऋण	Major Head "6858" Loans for Engineering Industries				
पू.	S.	1.00	16900.00	16900.00	..
पु.	R.	16899.00			

(I) ₹109856.00 लाख का प्रावधान (फरवरी, 2019 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹109851.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹109856.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in February, 2019) remained wholly unutilized under three heads; of these ₹109851.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "4552" – "राष्ट्रीय राजमार्ग (सड़कें तथा सेतु) – सड़क निर्माण कार्य – सीमा सड़क संगठन के अंतर्गत सड़क विकास निर्माण कार्य" – ₹27850.00 लाख – पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्ष को

(A) Major Head "4552" – "National Highways (Roads and Bridges) - Road Works – Road Development Works under Border Roads Organisation" – ₹27850.00 lakhs – due to re-appropriation of funds to functional heads for

किए जाने के कारण।

utilization on projects/schemes for benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(खा) मुख्य शीर्ष “5054” – “सामरिक महत्व की और सीमा सड़कें – आरक्षित निधि जमा को/से अंतरण – सीमा सड़क संगठन के अंतर्गत निर्माण कार्य” – ₹82001.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित)– नकदी रहित लेखांकन प्रविष्टि।

(B) Major head “5054” – “Strategic and Border Roads - Transfer to/from Reserve Fund/Deposit Accounts - Works under Border Road Organisation” - ₹82001.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) - due to a non-cash accounting entry.

(II) मुख्य शीर्ष “4047” – “सीमा शुल्क – तटरक्षक संगठन” के अंतर्गत ₹44122.05 लाख की बचत हुई (फरवरी, 2019 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹270001.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एंजेसियों द्वारा निर्माण कार्यो, भूमि अधिग्रहण प्रस्तावों के अंतिम रूप न दिए जाने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head “4047” – “Customs – Coast Guard Organisation” – saving of ₹44122.05 lakhs occurred (against the total sanctioned provision of ₹270001.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in February, 2019) was due to non-finalisation of construction works by executing agency, acquisition of land proposals and reduction of provisions at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(III) मुख्य शीर्ष “4059” – “कार्यालय भवन – निर्माण” बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(III) Under Major Head “4059” – “Other Buildings - Construction” – savings occurred under the following heads:-

(का) “रक्षा लेखा विभाग“ – ₹1644.27 लाख की बचत (₹2149.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संविदा अनुबंध के अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने और परियोजना के धीमी प्रगति होने के कारण हुईं।

(A) “Defence Accounts Department” – saving of ₹1644.27 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2149.00 lakhs) was due to delay in finalization of contract agreement and slow progress of projects.

(खा) “रक्षा संपदा सगंठन“ – ₹1510.65 लाख की बचत (₹1794.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना मे) विविध परियोजनाओं के अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(B) “Defence Estate Organisation” - saving of ₹1510.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1794.00 lakhs) was due to non-finalization of various projects.

(IV) मुख्य शीर्ष “4076” – “सेना – भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना – सिविल” – ₹2505.86 लाख की बचत (₹2842.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चिकित्सा उपकरणों की खरीद से संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई और निर्माण कार्य परियोजनाओं के अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head “4076” – “Army – Ex-Servicemen Contributory Health Scheme – Civil” saving of ₹2505.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2842.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards purchase of medical equipments and non-finalistion of construction work projects.

(V) मुख्य शीर्ष “4216” – “सरकारी आवासीय भवन – अन्य आवास – निर्माण” – ₹1170.75 लाख की बचत

(V) Under Major Head “4216” – “Government Residential Buildings – Other Housing – Construction”

(₹2200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा विविध परियोजनाओं के अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष "5054" – "सामरिक महत्व की और सीमा सड़कें – सड़क निर्माण कार्य – सीमा सड़क संगठन के अंतर्गत कार्य" – ₹46950.95 लाख (₹272150.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सीमा सड़क संगठन कार्मिक के वेतन एवं भतों को अलग किए जाने और फर्म से सामग्रियों की अपूर्ति में विलंब होने के कारण हुई।

(VII) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹285.50 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 71 प्रतिशत थीं।

6. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹16899.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष "6858" परिवहन उपस्कर उद्योग – सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों के लिए ऋण – हिन्दुस्तान शिपायार्ड लिमिटेड" के अंतर्गत फरवरी, 2019 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

– saving of ₹1170.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2200.00 lakhs) was due to non-finalisation of various projects by executing agencies.

(VI) Under Major Head "5054" – "Strategic and Border Roads – Road Works – Works under Border Road Organisation" – saving of ₹46950.95 lakhs (against the sanctioned provision of ₹272150.00 lakhs) was due to delinking of salary and allowances of Border Road Organisation personnel and delay in supply of materials from firms.

(VII) Under one head saving of ₹285.50 lakhs occurred constituting 71 percent of the sanctioned provision.

6. The above savings were partly (₹16899.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in February, 2019 under Major Head "6858" – "Transport Equipment Industries – Loans for Public sector and other Undertakings – Hindustan Shipyard Limited".